

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर

क्रमांक: RABI-2079-SMF-02 /4355

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/SIK/0006918

दिनांक: 08/08/2023

10.08.2023

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक raj kaj ref no. 3131092 & 1658-69 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है:-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सीकर ग्रामीण	709	SMF	50%-75%	8473613
सीकर	5964	SMF	50%-75%	57926831
धोद	175	SMF	50%-75%	1029089
खण्डेला	4248	SMF	50%-75%	32847307
दोतारामगढ़	103	SMF	50%-75%	1356369
फतेहपुर	2723	SMF	50%-75%	22223831
नेछवा	2592	SMF	50%-75%	23713083
पाटन	1672	SMF	50%-75%	13599358
लक्ष्मणगढ़	7612	SMF	50%-75%	96663795
रामगढ़ शेखावाटी	2528	SMF	50%-75%	24210377
रीगस	3791	SMF	50%-75%	44892803
श्रीमाधोपुर	4255	SMF	50%-75%	36015416
नीमकाथाना	1033	SMF	50%-75%	7360041
योग	37405			370311913

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-05-12 बजट मद पर भारत होगी ।

जिला कलेक्टर,
सीकर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by S. Labh Swami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2023.08.10 17:42:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4478422

